जरिये ई–मेल

कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था./2026/07 दिनांक : 13.01.2026

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक : स्था0/2026/02 दिनांक 02.01.2026 के अनुसार **दिनांक 18.01.2026** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु **डॉ. ऋचा चायल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन जिला बून्दी** की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये **दिनांक 18.01.2026** के राजपत्रित अवकाश में जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु **श्री सिद्धान्त सक्सेना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, बून्दी** की ड्यूटी लगाई जाती है। शेष रिमाण्ड डयूटी आदेश पूर्ववत लागू होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2026/98-105 दिनांक : 13-1-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.

(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।

(3) संबंधित पीठासीन अधिकारी.....

(4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।

(5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी

(6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी

(7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.

(8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

13-1-26

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)